(83)

प/निगरानी/अनूपपुर/भू०रा०/2018/02279

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–अनूपपुर

श्री के० के० द्विवेदी अभि० द्वारा आज दि० 7-4-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 10-4-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर
7-4-18

मो0 अबरार पुत्र श्री मरहूम हाजी अब्दुल हफीज निवासी–इस्लाम गंज कोतमा, थाना व तहसील कोतमा जिला अनूपपुर (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

मो0 हनीफ पुत्र श्री हाजी नईमुल्ला निवासी – कोतमा तहसील कोतमा जिला अनूपपुर (म.प्र.)

...... अनावेदक

न्यायालय तहसीलदार तहसील कोतमा जिला अनुपपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 12–/अ–70/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 14.06.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार है।

1 यहकि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील कोतमा द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.06.2017 अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2 यहकि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा एक आवेदन आदेश 6 नियम 17 का प्रस्तुत किया था जिसमे उल्लेख किया गया था कि धारा 250 भू–राजस्व संहिता के आवेदन में कुछ आवश्यक तथ्य अंकित करने से छूट गये है जिन्हे प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से आवेदक आवेदन पत्र समाहित करना चाहता है। उक्त आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश 06.06.2017 स्वीकार किया है। किन्तु बाद में पुनः उसी आवेदन पर प्रकरण नियत कर दिया गया जबकि पूर्व में आवेदन मंजूर कर लिया गया था ऐसी स्थिति में उक्त आवेदन पत्र पर पुनः विचार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी इस तथ्य पर विचार किये बिना जो आदेश एवं कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही है वह अपास्त किये जाने योग्य है।

3 यहकि, जब किसी आवेदन पत्र पर आदेश पारित कर लिया जाता है तब उसके पीछे जाकर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने के पश्चात् केवल वरिष्ठ न्यायालय ही निरस्त कर सकता है ना कि आदेश पारित करने वाला न्यायालय ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही अपास्त किये जाने योग्य है।

4 यहकि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोतमा द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र ~~आवेदन पत्र~~ को दिनांक 06.06.2017 से स्वीकार कर लिया था तब ऐसी स्थिति में न्यायालय को उक्त आवेदन के अनुसार संधोधन

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग./अनूपपुर/भू.रा./18/02279

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.06.18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील कोतमा जिला अनूपपुर के प्रकरण कमांक 12/अ–70/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 14.6.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में लगभग 10 माह के विलंब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में धारा–5 का आवेदन मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया है जिसमें उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश आक्षेपित आदेश दिनांक 14.6.17 के संबंध में उनके अधिवक्ता द्वारा बताया गया था कि इसी न्यायालय से पारित आदेश दिनांक 6.6.17 के अनुसार संशोधन प्रमाणित करवा देंगे। लेकिन बाद में यह बताया गया था कि इस आदेश के विरूद्व राजस्व मण्डल में निगरानी होगी, इसलिये हुये विलंब को क्षमा करने का अनुरोध किया गया है।	

3–आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि आवेदक अधिवक्ता के तर्क एवं धारा–5 के आवेदन के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा जो तथ्य बताये गये है वह समाधानकारक नहीं होने से प्रकरण में जो 10 माह का विलंब हुआ है वह क्षमा योग्य नही है। अतः आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी ग्राह्यता के आधार पर ही अग्राह की जाती है।

सदस्य